मुख्य धारायें–

12. लोक
21. लोक–सेवक
22. जंगम संपत्ति
23. सदोष अभिलाभ
24. बेईमानी से
25. कपटपूर्वक
26. विश्वास करने का कारण
28. कूटकरण
29. दस्तावेज
30. मूल्यवान प्रतिभूति
33. कार्य लोप
34. सामान्य आशय को अग्रसर करनें में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य
39. स्वेच्छया
52. सद्भावपूर्वक
63. जुर्माने की रकम
64. जुर्माना न देने पर कारावास
65. जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते है, तब जुर्माना न देने पर कारावास अवधि
66. जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए
67. जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो
68. जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना

69. जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान
70. जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना–सम्पत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती
75. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड
76. विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य कि भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
77. न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य
78. न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुशरण में किया गया कार्य
79. विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
80. विधिपूर्ण कार्य करने में दूर्घटना
81. कार्य जिसमें अपहानि कारित होना सम्भाव्य है किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।
82. सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य
83. सात वर्ष से उपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य
84. विकृत–चित्त व्यक्ति का कार्य
85. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरूद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है।
86. किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें

विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है

87. सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो
88. किसी व्यक्ति के फायदे कि लिये सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नही है
89. संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य
90. सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गयी है
91. ऐसे कार्यो का अपर्वजन जो कारित अपहानि बिना भी स्वतः अपराध है
92. सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य
93. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना
94. वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।
95. तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में

96. प्राईवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें
97. शरीर तथा सम्पति की प्राईवेट का अधिकार
98. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरूद्वप्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो
99. कार्य जिनके विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नही है।
100. शरीर की प्रइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है
101. कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है

102. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना
103. कब सम्पति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है
104. ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है
105. सम्पति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना
106. घातक हमले के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो
107. किसी बात का दूष्प्रेरण
109. दूष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य जिसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है
114. अपराध किए जाने समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति
115. मृत्यु या आजीवान कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण–यदि अपराध नही कि जाता है
116. कारावास से दण्डनीय अपराध का दूष्प्रेरण–यदि अपराध न किया जाए
120. क. आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा
124. क. राजद्रोह
147. बल्वा करने के लिए दण्ड
148. घातक आयुद्ध से सज्जित होकर बल्वा करना
149. विधि विरूद्ध जमाव का हर सदस्य , सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी
153. ख. राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रख्यान

159. दंगा

166. क. लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है

168. ख. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड

168. लोक–सेवक ,जो विधिविरूद्ध रूप से व्यापार में लगता है

169. लोकसेवक जो विधिविरूद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है

171. ख. रिश्वत

171. घ. निर्वाचनों के प्रतिरूपण

171. छ. निर्वाचनों के सिलसिले में मिथ्या कथन

171. झ. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता

182. इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक–सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे

186. लोक–सेवक के लोक–कृत्यों के निर्वहन मे बाधा डालना

188. लोक–सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा

189. लोक–सेवक को क्षति करने की धमकी

192. मिथ्या साक्ष्य गढ़ना

193. मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड

195. आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना

197. मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना

201. अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना

209. बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना

210. ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना

224. किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा

232. भारतीय सिक्कें का कूटकरण

234. भारतीय सिक्कें के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना

240. उस भारतीय सिक्कें का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जें में आने के समय ज्ञात था

247. कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्कें का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तन करना

255. सरकारी स्टाम्प का कूटकरण

258. कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय

259. सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जें में रखना

277. लोक जल स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना

279. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना

292. अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि

293. तरूण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि

294. अश्लील कार्य और गाने

295. किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान की क्षति करना या अपवित्र करना

296. धार्मिक जमाव में विघ्न करना

297. कब्रितानों आदि में अतिचार करना

298. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि

299. आपराधिक मानव वध

300. हत्या

301. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कर के आपराधिक मानव वध

302. हत्या के लिए दण्ड

304. हत्या की कोटि न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड

304. क. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

304. ख. दहेज मृत्यु

306. आत्महत्या का दूष्प्रेरण

307. हत्या करने का प्रयत्न

308. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न

309. आत्महत्या करने का प्रयत्न

312. गर्भपात कारित करना

313. स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना

314. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यो द्वारा कारित मृत्यु

323. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड

325. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड

326. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति करित करना

326. क. अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वच्छया घोर उपहति करित करना

326. ख. स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना

328. अपराध करने कें आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना

330. संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना

332. लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना

333. लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना

336. कार्य जिससे दूसरो का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो

337. ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना जिससे दूसरो का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्ना हो जाए

341. सदोष अवरोध के लिए दण्ड

342. सदोष परिरोध के लिए दण्ड

343. तीन या अधिक दिनों के लिए संदोष परिरोध

344. दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध

352. गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड

353. लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354. क. लैंगिकउत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड

354. ख. विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354. ग. दृश्यरतिकता

354. घ. पीछा करना

361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण

362. अपहरण

363. व्यपहरण के लिए दण्ड

363. क. भीख मॉगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगिकरण

364. हत्या करने कि लिए व्यपहरण या अपहरण
365. किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने आशय से व्यपहरण या अपहरण
366. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्तप्रेरित करना
366. क. अप्राप्तवय लड़की का उपापन
368. व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना
370. दास रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या व्यय करना
370. क. ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया, शोषण
375. बलात्संग
376. बलात्संग के लिए दंण्ड
376. क. पीड़िता की मृत्यू या लगातार विड्डत–शील दशा कारित करने के लिए दण्ड
376. ख. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथून
376. ग. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथून
376. घ. सामुहिक बलात्संग
376. ड. पुरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड
377. प्रकृति विरूद्ध अपराध
379. चोरी के लिए दंड
380. निवास– गृह, आदि में चोरी
381. लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जें की सम्पत्ति की चोरी
383. उद्दापन
384. उद्दापन के लिए दण्ड
386. किसी व्यक्ति को मृत्यू या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन
390. लूट

391. डकैती
392. लूट के लिए दण्ड
394. लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना
395. डकैती के लिए दण्ड
396. हत्या सहित डकैती
398. घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न
399. डकैती करने के लिए तैयारी करना
402. डकैती करने के प्रयोजनों से एकत्रित होना
403. सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
404. ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दूर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जें में थी
405. आपराधिक न्यासभंग
406. आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड
407. वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग
408. लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग
409. लोक सेवक द्वार या बैंकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग
411. चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
412. ऐसी सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है
413. चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना
414. चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना
415. छल
419. प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड

420. छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना
427. रिष्टि जिसमें पचास रूपए का नुकसान होता है
430. सिंचित संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि
447. आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड
448. गृह–अतिचार के लिए दण्ड
449. मृत्यू से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह–अतिचार
450. आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह–अतिचार
451. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह–अतिचार
452. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह–अतिचार
454. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह–अतिचार या गृह–भेदन
457. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह–अतिचार या रात्रौ गृह– भेंदन
458. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रौ प्रच्छन्न गृह–अतिचार या रात्रौ गृह– भेंदन
459. प्रच्छन्न गृह–अतिचार या गृह–भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो
464. मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना
465. कूटरचना के लिए दण्ड
466. न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना
467. मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना
468. छल के प्रयोजन से कूटरचना

470. कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख
471. कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना
472. धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि को बनाना या कब्जे में रखना
489. क. करेंसी नोटो या बैंक नोटो का कूटकरण
489. ग. कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैक नोटों को कब्जें में रखना
489. घ. करेन्सी नोटो या बैक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
494. पति या पत्नी के जीवन काल मे पुनः विवाह करना
497. जारकर्म
498. विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरूद्ध रखना
498. क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वरा उसके प्रति क्रूरता करना
499. मान हानि
500. मान हानि के लिए दण्ड
501. मान हानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना
502. मान हानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना
503. आपराधिक अभित्रास
510. मत्त व्यक्ति द्वारा लोकस्थान में अवचार
511. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड